झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

बी0 ए0 संख्या–87 / 2020

1. सूरज यादव
2. महेन्द्र यादव
3. राजेन्द्र यादव ....याचिकाकर्त्तागण

बनाम्

झारखण्ड राज्य .... विपक्षी पार्टी

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री रोंगन मुखोपाध्याय

याचिकाकर्त्ताओं के लिए: श्री बिनोद कुमार दुबे, अधिवक्ता।

राज्य के लिए: ए0पी0पी0।

04 / 22.1.2020 पक्षों को सुना।

याचिकाकर्त्तागण राजपुर थाना काण्ड संख्या 20 / 2017 से उद्भूत एन0डी0पी0एस0 वाद संख्या 88 / 2019 के संबंध में आरोपी है।

याचिकाकर्त्ताओं पर वन क्षेत्र में अतिक्रमण कर अफीम की खेती में शामिल होने का संदेह था। याचिकाकर्त्ताओं को स्वीकारोक्ति पर फंसाया गया है और उन्हें मौके पर नहीं पकड़ा गया है। याचिकाकर्त्ता सं0 1 दिनांक 7.12.2019 से हिरासत में है जबकि याचिकाकर्त्ता सं0 2 दिनांक 12.12.2019 से हिरासत में है। सह–अभियुक्त कैलाश यादव उर्फ प्रयाग यादव को बी0ए0 संख्या 1872 / 2019 में इस न्यायालय द्वारा जमानत दी गई है।

उपरोक्त के संदर्भ में, उपरोक्त नामित याचिकाकर्त्ताओं को 10,000 / – (केवल दस हजार) रूपये के बंधपत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर, विद्वान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश–सह–विशेष न्यायाधीश (एन0डी0पी0एस0), चतरा के संतुष्टि पर, राजपुर थाना काण्ड संख्या 20 / 2017 से उद्भूत एन0डी0पी0एस0 वाद संख्या 88 / 2019 में जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है।

(रोंगन मुखोपाध्याय, न्याया0)